प्रेषक, संख्या–1729(बी)/क.नि.–6–2017–20(बी)–15/17

सी0एल0 गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.महानिदेशक,
संस्थागत वित्त, बीमा एवं,
वाह्य सहायतित परियोजना
महानिदेशालय, लखनऊ।

2. संयोजक,
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
लखनऊ, उ0प्र0।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन, अनु0–6 लखनऊः दिनांकः 16 नवम्बर, 2017

विषय– प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के एन0पी0ए0 में वर्गीकृत फसल ऋण हेतु एन0पी0ए0 समाधान योजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के एन0पी0ए0 वर्गीकृत फसल ऋण के संबंध में एन0पी0ए0 समाधान योजना के लागू किए जाने हेतु शासनादेश सं0–1523 बी/क.नि–6–2017–1(बी)/2017 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 के प्रस्तर–1 में यह व्यवस्था दी गयी है कि एन0पी0ए0 समाधान योजना में सम्मिलित होने हेतु ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा अपने सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर योजना में विहित प्रक्रियानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि व्यावसायिक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्तर से योजना स्वीकार किये जाने हेतु बैंकों के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने के संबंध में अभी तक सूचित नहीं किया गया है।

3. उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त एन0पी0ए0 समाधान योजना को व्यावसायिक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकार किए जाने के संबंध में अंतिम समय 30 नवम्बर, 2017 निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्णय के अनुसार अग्रतेर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सी0एल0 गुप्ता)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 1729 (बी)/क.नि.–6/2017/तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/संस्थागत वित्त/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त/राजस्व/कृषि/सूचना, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन (श्री नील रत्न)।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(सी0एल0 गुप्ता)
संयुक्त सचिव